NSW में सरकारी जानकारी तक पहुँच प्राप्त करने के आपके अधिकार

तथ्य पत्रक
जून 2014

NSW में आपको सरकारी सूचना (सार्वजनिक पहुँच) अधिनियम 2009 (Government Information (Public Access) Act 2009) या 'GIPA अधिनियम' के तहत अधिकाँश सरकारी जानकारी तक पहुँच प्राप्त करने का कानूनन प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त है, बशर्ते प्रकटीकरण के विरुद्ध कोई अधिभावी सार्वजनिक हित न हो।

GIPA अधिनियम क्या है?

GIPA अधिनियम इस बारे में नियम स्थापित करता है कि आप सरकारी एजेंसियों से जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते/सकती हैं। सरकारी जानकारी किसी सरकारी एजेंसी के काम करने या किसी सरकारी एजेंसी द्वारा आपकी खुद की निजी जानकारी सँचय करने के बारे में हो सकती है। इसमें कुछ जानकारी शामिल नहीं की जाती है, जैसे ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी जो 30 से अधिक वर्षों के लिए मृत रहा हो।

यह किस पर लागू होता है?

GIPA अधिनियम NSW में सभी सार्वजनिक सेवाओं पर लागू होता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- सरकारी विभाग
- स्थानीय परिषदें
- राज्य के स्वामित्व वाले व्यापार
- विश्वविद्यालय
- मंत्री और उनका कर्मीदल।

मैं सरकारी जानकारी तक पहुँच कैसे प्राप्त कर सकता/सकती हूँ?

आप दो बातें कर सकते/सकती हैं:

1. आप जो जानकारी चाहते/चाहती हैं, उसे देखने के लिए एजेंसी की वेबसाइट पर जाँच करें कि वह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है या नहीं

या

2. एजेंसी के ग्राहक सेवा स्टाफ से संपर्क करें। यदि वे आपको जानकारी प्रदान नहीं कर सकते हैं, तो आप उनके सूचना अधिकार अधिकारी (Right to Information Officer) से बात करने के लिए पूछ सकते हैं।

नोट: *आपको उस सरकारी एजेंसी से संपर्क करना चाहिए जिसके पास आपको ऐसा लगे कि आपकी इच्छित जानकारी है।*

एजेंसियाँ जानकारी कैसे दे सकती हैं?

1. बहुत सी जानकारी एजेंसी की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगी, लेकिन यदि आपको इंटरनेट तक पहुँच प्राप्त न हो तो आप एक प्रतिलिपि के लिए अनुरोध कर सकते/सकती हैं। यह नि:शुल्क उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
2. एजेंसियों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे अपनी वेबसाइट पर सभी जानकारी को उपलब्ध कराएँ, लेकिन जब तक प्रकटीकरण के विरुद्ध कोई अधिभावी हित न हो, तब तक बहुत सी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। एजेंसी का सूचना अधिकार अधिकारी (Right to Information Officer) आपको यह बता सकता है कि आप कहाँ और कैसे इसे नि:शुल्क या न्यूनतम उचित कीमत प्राप्त कर सकते/सकती हैं।
3. यदि यह आपकी खुद की निजी जानकारी है और यह आसानी से मिल जाती है, तो एजेंसी को इसे आपको बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराना चाहिए – इसे एक "अनौपचारिक रिलीज़" ("informal release") कहते हैं।
4. यदि आपको जानकारी किसी अन्य तरीके से नहीं मिल सकती है, तो आप एक "औपचारिक आवेदन" कर सकते/सकती हैं।

मैं एक औपचारिक आवेदन (formal application) कैसे कर सकता/सकती हूँ?

इसे एक 'पहुँच आवेदन' ('access application') भी कहते हैं और आप एजेंसी से पूछ सकते/सकती हैं कि क्या उनके पास एक आवेदन-पत्र है। यह अक्सर एजेंसी की वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होता है। अन्यथा आप अपना खुद का आवेदन दर्ज कर सकते/सकती हैं। चाहे कोई भी प्रक्रिया अपनाई जाए, आवेदन केवल तभी मान्य होगा जब यह निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करता हो:

- अपना आवेदन लिखित में करें और उसे उस एजेंसी के पास जमा करें जो आपको लगता हो कि आपकी जानकारी रखती है।
- यह बताएँ कि यह GIPA अधिनियम के तहत एक पहुँच आवेदन है
- $30 के आवेदन शुल्क का भुगतान साथ में करें
- अपना डाक का पता दें
- स्पष्ट रूप से यह बताएँ कि आप किस जानकारी के लिए अनुरोध कर रहे/रही हैं, जिससे कि एजेंसी जानकारी की पहचान कर सके।

इसके लिए कितना खर्च आएगा?

एक औपचारिक आवेदन के लिए मानक शुल्क $30 है, और इसके ऊपर प्रसंस्करण शुल्क लगता है। जब तक शुल्क का भुगतान न किया जाए, तब तक आवेदन अमान्य होगा।

प्रसंस्करण शुल्क लागू हो सकते हैं (प्रति घंटे $30 की दर)। यदि यह जानकारी आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी है, तो यह प्रसंस्करण शुल्क समय के पहले 20 घंटों के लिए माफ कर दिया जाना चाहिए।

प्रसंस्करण शुल्क के बारे में सूचना सामान्यत: एजेंसी की वेबसाइट पर उपलब्ध होती है, या सहायता के लिए एजेंसी के सूचनाधिकार अधिकारी (Right to Information Officer) से बात करें।

यदि मैं फीस का भुगतान न कर सकूँ, तो?

अपना आवेदन जमा करने से पहले एजेंसी के साथ बात करें और यह पूछें कि क्या वह आपकी मदद कर सकती है। एजेंसियों के पास एक सामान्य विवेकाधिकार होता है, जिसके चलते वे GIPA अधिनियम के तहत लगाए गए किसी भी शुल्क को माफ, कम या वापस कर सकती हैं।

मेरे आवेदन को पूरा करने में कितना समय लगेगा?

- एजेंसी द्वारा प्राप्त होने के बाद आपके आवेदन को सामान्यत: 20 दिनों के अंदर प्रसंस्कृत कर दिया जाएगा।
- यदि एजेंसी को किसी अन्य व्यक्ति से बात करने या अभिलेखागार में जानकारी को खोजने की ज़रूरत होगी, तो इसमें अतिरिक्त 10-15 कार्यकारी दिन लग सकते हैं।
- यदि इससे अधिक समय लगता है, तो एजेंसी को आपके पैसे वापस दे देने चाहिए।

यदि मुझे अपनी इच्छित जानकारी नहीं मिलती है, तो क्या होगा?

यदि आप एजेंसी के फैसले से नाखुश हैं, तो आप निम्नलिखित कर सकते/सकती हैं:

विकल्प 1: निर्णय के नोटिस को आपके पास भेजने के बाद 20 कार्य दिवसों के भीतर एजेंसी द्वारा एक आंतरिक समीक्षा के लिए अनुरोध।

विकल्प 2A: आपको निर्णय का नोटिस दिए जाने के बाद 40 कार्य दिवसों के भीतर सूचना आयुक्त (Information Commissioner) द्वारा एक वाह्य समीक्षा के लिए अनुरोध।

या

विकल्प 2B: आपको निर्णय का नोटिस दिए जाने के बाद 40 कार्य दिवसों के भीतर एनएसडब्ल्यू नागरिक और प्रशासनिक अधिकरण (NSW Civil and Administrative Tribunal - NCAT) द्वारा एक वाह्य समीक्षा के लिए अनुरोध।

विकल्प 1: आंतरिक समीक्षा प्रक्रिया

आपके पास निर्णय दिए जाने के बाद 20 कार्य दिवसों का समय होता है जिसके अंदर आपको उस एजेंसी द्वारा एक आंतरिक समीक्षा के लिए अनुरोध करना होगा जिसने निर्णय लिया था।

आंतरिक समीक्षा उस एजेंसी द्वारा की जाती है जिसके पास आपने आवेदन किया था। समीक्षा एक ऐसे अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए जो उस अधिकारी से कम वरिष्ठ न हो जिसने मूल निर्णय लिया था।

यदि एक मंत्री या उसके निजी स्टाफ, या किसी एजेंसी के प्रमुख अधिकारी ने निर्णय लिया था, तो आप आंतरिक समीक्षा के लिए अनुरोध नहीं कर सकते/सकती हैं। लेकिन आप सूचना आयुक्त (Information Commissioner) या NCAT द्वारा एक वाह्य समीक्षा के लिए अनुरोध कर सकते/सकती हैं (विकल्प 2A और 2B देखें)।

इसके लिए $40 का आवेदन शुल्क है, परंतु यदि निर्णय एक ‘समझी हुई मनाही’ (‘deemed refusal’) है, तो आंतरिक समीक्षा के लिए कोई शुल्क लागू नहीं होगा, क्योंकि एजेंसी ने समय के अंदर आपके आवेदन पर कार्यवाही नहीं की थी; या आंतरिक समीक्षा इसलिए की जाती है क्योंकि सूचना आयुक्त ने एजेंसी से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है।

एजेंसी को आपके आवेदन प्राप्त होने के पाँच कार्य दिवसों के भीतर इसके प्राप्त होने की स्वीकृति देनी चाहिए, और 15 कार्य दिवसों के भीतर आंतरिक समीक्षा का निर्णय ले लेना चाहिए (यदि तीसरी पार्टी का परामर्श आवश्यक है, तो इसे 10 कार्य दिवसों तक बढ़ाया जा सकता है)।

विकल्प 2A: सूचना आयुक्त (Information Commissioner) द्वारा वाह्य समीक्षा

यदि आप एजेंसी के निर्णय से असंतुष्ट हैं, तो आप सूचना आयुक्त द्वारा समीक्षा के लिए अनुरोध कर सकते/सकती हैं।

यदि आप ही जानकारी तक पहुँच प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको सूचना आयुक्त द्वारा इसकी समीक्षा करने के लिए अनुरोध करने से पहले निर्णय की आंतरिक समीक्षा करवाना आवश्यक नहीं है।

यदि आप जानकारी तक पहुँच प्राप्त करने वाले आवेदक नहीं हैं, तो सूचना आयुक्त द्वारा समीक्षा करने के लिए आपके द्वारा आवेदन से पहले निर्णय की आंतरिक समीक्षा की जानी चाहिए। लेकिन यदि एक आंतरिक समीक्षा के लिए मांग नहीं की जा सकती है (उदाहरण के लिए किसी मंत्री, उसके निजी स्टाफ, या एजेंसी के प्रमुख अधिकारी ने निर्णय लिया था), तो आप सूचना आयुक्त द्वारा समीक्षा करने के लिए सीधे आवेदन कर सकते/सकती हैं।

आपके पास निर्णय दिए जाने के बाद 40 कार्य दिवसों का समय उपलब्ध होता है, जिसके अंदर आपको सूचना आयुक्त द्वारा समीक्षा के लिए अनुरोध करना होगा। निर्णय की समीक्षा करने के बाद सूचना आयुक्त निर्णय के बारे में एजेंसी को अपनी संस्तुति दे सकता है।

नोट: *आप सूचना आयुक्त से ऐसे किसी निर्णय की समीक्षा करने के लिए अनुरोध नहीं कर सकते/सकती हैं, जिसकी NCAT द्वारा पहले ही समीक्षा कर ली गई हो या जिसकी समीक्षा की जा रही हो।*

विकल्प 2B: NCAT द्वारा वाह्य समीक्षा

यदि आप एजेंसी के निर्णय से असंतुष्ट हैं, तो आप एनएसडब्ल्यू नागरिक और प्रशासनिक अधिकरण (NSW Civil and Administrative Tribunal - NCAT) द्वारा समीक्षा किए जाने के लिए अनुरोध कर सकते/सकती हैं।

आपके पास निर्णय दिए जाने के बाद 40 कार्य दिवसों का समय उपलब्ध होता है जिसके अंदर आपको निर्णय की समीक्षा करने के लिए NCAT के पास अनुरोध करना होगा। परंतु यदि आपने सूचना आयुक्त (Information Commissioner) द्वारा समीक्षा के लिए आवेदन किया है, तो आपके पास सूचना आयुक्त की समीक्षा के परिणाम की सूचना दिए जाने के बाद से 20 कार्य दिवसों का समय उपलब्ध होगा जिसके अंदर आपको NCAT के पास आवेदन करना होगा।

नोट: *आपके लिए NCAT द्वारा समीक्षा के लिए आवेदन करने से पहले निर्णय की आंतरिक समीक्षा, या सूचना आयुक्त द्वारा आंतरिक समीक्षा करवाए जाने की आवश्यकता नहीं है।*

IPC के विषय में

सूचना और गोपनीयता आयोग (Information and Privacy Commission (IPC)) एक स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकरण है, जो सरकार की जानकारी की गोपनीयता और उसका उपयोग करने से जुड़े न्यू साउथ वेल्स के कानून का प्रशासन करता है।

IPC से संपर्क करना

हमारे कार्यकारी घंटे (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक हैं।

Level 17, 201 Elizabeth Street, Sydney NSW 2000

पोस्ट: GPO Box 7011, Sydney NSW 2001

फोन: 1800 IPC NSW (1800 472 679)

ईमेल: ipcinfo@ipc.nsw.gov.au

वेब: www.ipc.nsw.gov.au

फैक्स: (02) 8114 3756

मैं किसी सरकारी एजेंसी से जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता/सकती हूँ?

इस बात की जाँच करें कि जानकारी पहले से ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है या नहीं।
एजेंसी की वेबसाइट की जाँच करें या उनकी ग्राहक सेवा टीम और/या सूचना अधिकार अधिकारी (Right to Information Officer) से संपर्क करें।

↓ नहीं

यह पूछें कि क्या एजेंसी अनौपचारिक रूप से आपके लिए सूचना जारी करेगी।
एजेंसी की ग्राहक सेवा टीम और/या सूचनाधिकार अधिकारी (Right to Information Officer) से संपर्क करें।

↓ नहीं

सरकारी सूचना *(सार्वजनिक पहुँच अधिनियम) (Government Information - Public Access Act 2009 (GIPA अधिनियम))* के तहत एक औपचारिक आवेदन पूरा करें। (नीचे चरण देखें)

एक औपचारिक आवेदन करना:

एजेंसी के पास उनकी वेबसाइट पर आपके भरने के लिए एक विशिष्ट आवेदन-पत्र हो सकता है

→ नहीं

यदि नहीं, तो:

- अपना अनुरोध लिखित में उस एजेंसी के पास जमा करें जो आप सोचते/सोचती हैं कि आपकी जानकारी रखती है
- यह बताएँ कि यह GIPA अधिनियम के तहत एक पहुँच आवेदन है
- $30 आवेदन शुल्क का भुगतान साथ में दें (नीचे देखें)
- एक डाक पता भी उपलब्ध कराएँ।
- स्पष्ट शब्दों में यह समझाएँ कि आप किस जानकारी के लिए आवेदन कर रहे/रही हैं, ताकि एजेंसी जानकारी की पहचान कर सके।

↓ हाँ

$30 का एक आवेदन शुल्क है।
(यदि शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है, तो आवेदन को अमान्य समझा जाता है। सीमित परिस्थितियों में एजेंसी इसे माफ या कम कर सकती है)

↓ हाँ

आपके आवेदन के ऊपर 20 कार्य दिवसों के भीतर कार्यवाही की जानी चाहिए।
(यदि एजेंसी को दूसरों के साथ परामर्श या संग्रहित सामग्री प्राप्त करने की ज़रूरत होगी, तो इसे 10-15 कार्यकारी दिनों तक बढ़ाया जा सकता है)।
हो सकता है कि एक प्रसंस्करण शुल्क लागू हो - अगर होगा तो आपको इसके बारे में बताया जाएगा। आपको एजेंसी के निर्णय के बारे में लिखित रूप से सूचित किया जाएगा।

एजेंसी के निर्णय की समीक्षा करना:

यदि आप एजेंसी के निर्णय से नाखुश हैं, या एजेंसी ने समय पर निर्णय नहीं लिया है, तो आपके पास एक समीक्षा करवाने का अधिकार है। आपको एजेंसी और/या सूचना आयुक्त (Information Commissioner) और/या एनएसडब्ल्यू नागरिक और प्रशासनिक अधिकरण (NSW Civil and Administrative Tribunal - NCAT) के पास एक आंतरिक समीक्षा करवाने का अधिकार है। लेकिन सूचना आयुक्त NCAT द्वारा लिए गए किसी निर्णय की समीक्षा नहीं कर सकता है।

→ विकल्प 1: एक आंतरिक समीक्षा के लिए अनुरोध करें।
जब एजेंसी में कोई अन्य व्यक्ति आपके आवेदन का आकलन करता है, तब आप इस विकल्प का प्रयोग कर सकते/सकती हैं। इसके लिए $40 का शुल्क है (यदि एजेंसी ने समय पर अपना मूल निर्णय नहीं लिया था, तो कोई शुल्क नहीं लगेगा।)

→ विकल्प 2A: सूचना आयुक्त द्वारा एक वाह्य समीक्षा के लिए अनुरोध करें। इसके लिए हमारी वेबसाइट पर एक आवेदन-पत्र उपलब्ध है। इसके लिए कोई शुल्क नहीं है।

→ विकल्प 2B: NCAT द्वारा एक वाह्य समीक्षा के लिए अनुरोध करें। शुल्क लागू है । कृपया वर्तमान लागू शुल्क के लिए NCAT वेबसाइट को देखें ।

नोट: इस तथ्य पत्र में दी गई जानकारी का प्रयोग केवल एक दिशा-निर्देश के रूप में ही किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत परिस्थितियों के संबंध में कानूनी सलाह ली जानी चाहिए।